अति महत्वपूर्ण
(संसदीय राजभाषा समिति मामला)

सं. रा.भा.5(14)/आश्वासन-अनु.कार्र./2014/94
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,
राजभाषा विभाग, समाहर्तालय,
दीव.

दिनांक :-15/07/2014.

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

संसदीय राजभाषा निरीक्षण समिति की पहली उप-समिति द्वारा 01 जुलाई, 2013 को किये गए निरीक्षण के आलोक में दीव जिला प्रशासन के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के कामकाज को और अधिक प्रभावी तरीके से निष्पादित करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जाना अति-आवश्यक है :-

1. कार्यालय के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, भाषा प्रशिक्षण के लिए नामित करने हेतु उनके नाम तत्काल राजभाषा विभाग, दीव में भेजे जाएं ।
2. कार्यालय में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया जाए ।
3. कार्यालय के प्रयोग में लाए जा रहे सभी रजिस्टरों में हिन्दी में प्रविष्टियां की जाएं ।
4. 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी के पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाए ।
5. भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2014-2015 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार दीव से 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को 90% मूल पत्र हिन्दी में भेजे जाने आवश्यक हैं । अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित कर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए ।
6. कार्यालय के जिन आशुलिपिकों/टंककों को हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, उनके नाम तत्काल राजभाषा विभाग, दीव को भेजे जाएं, ताकि उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षण हेतु नामित किया जा सके ।
7. कार्यालय में संरक्षित सभी सेवा पुस्तिकाओं में अनिवार्य रूप से हिन्दी में प्रविष्टि की जाए ।
8. कार्यालय स्तर पर आयोजित की जानेवाली सभी बैठकों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि की कार्यसूची व कार्यवृत्त द्विभाषी में जारी किये जाएं ।
9. कार्यालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर जारी किये जानेवाले सभी विज्ञापन द्विभाषी में जारी किये जाएं तथा विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा हिन्दी के विज्ञापनों पर खर्च किया जाए ।

अतः दीव जिला के सभी कार्यालय प्रमुखों से यह अनुरोध है कि वे अपने-अपने कार्यालय में उक्त बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

(विनोद पी. कावले)
समाहर्ता एवं जिलाधीश/
अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
दीव.

सेवा में,
सभी कार्यालय प्रमुख, दीव.

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

1. सचिव (राजभाषा), दमण एवं दीव, दमण.
2. प्रशासक के स्टाफ अधिकारी, सचिवालय, दमण.
3. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली.
4. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, नवी मुम्बई.
5. सहायक निदेशक (रा.भा.), राजभाषा विभाग (मुख्यालय), दमण.
6. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, दीव..... वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु अनुरोध सहित.